

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार १अनु०-३१ विभाग

क्रमांक प.६११८/प.स./अनु०-३/११

जयपुर, दिनांक: 10.3.05

::: शक्ति-पत्र :::

इस विभाग की समस्त अधिकृत आज्ञा दिनांक 22.2.2005 के द्वितीय पैरा में "सिपति अधिकारियों के निलम्बन को जारी रखने या बहाल करने सम्बन्धी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी"

के स्थान पर

"सिपति छः माह से अधिक के निलम्बित अधिकारियों के निलम्बन को जारी रखने या बहाल करने सम्बन्धी अपनी अभिप्राय प्रत्येक तिमाही में पुनर्विलोकन कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी" पढ़ा जावे।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रालय।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अनुभागाधिकारी, कार्मिक १क-३/जा.व. विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

नरेन